ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय और कालेजों में
वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना

उद्देशिका:

शिक्षा और अर्थव्यवस्था के वैश्विकरण के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को नया रूप देना पड़ा ताकि मौजूदा भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता पर बल देते हुए अधिक वृत्ति उन्मुखी बनाया जा सके। इसमें यह परिकल्पना की गई थी कि संव्यवसायिक रूप से अर्हक स्नातक जिन्हें अपने मुख्य विषय में अच्छा ज्ञान है तथा संबंधित कौशल में विशेषज्ञता हासिल है उन्हें सेवा, उद्योग तथा स्व–रोजगार क्षेत्रों में अधिक अवसर प्राप्त हो सके। मौजूदा बदलते वैश्विक परिदृश्य में लगभग सभी मूलभूत तथा मुख्य संकाय तथा विषयों में इस प्रकार के संव्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित स्नातकों की मांग तथा भविष्य उज्ज्वल नजर आता है तथा भविष्य में इसमें वृद्धि होने की संभावना है। इस चुनौती का सामना करने के लिए दसवीं योजना के दौरान, वि0अ0आ0 कालेज/विश्वविद्यालयों में कौशल उन्मुखी तथा मूल्याधारित एवं 'एड–आन' पाठ्यक्रमों को शामिल किए जाने को बढ़ावा देना चाहती है जिससे विद्यार्थी अपनी स्नातक स्तर की शिक्षा के साथ–साथ एक समानान्तर उप विषय के रूप में चुनाव कर सके।

1. प्रस्तावना

वि0अ0आ0 ने आठवीं योजना (1994–95) के दौरान स्नातक पूर्व स्तर पर पाठ्यक्रमों के रोजगान्मुखी बनाने के एक मुख्य कार्यक्रम की शुरूआत की। यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने हेतु डिजाईन किया गया था कि स्नातक जो इन पाठ्यक्रमों को पास

करते हैं उनके पास सामान्य रूप से असंगठित क्षेत्र और विशिष्ट रूप से स्वरोजगार के क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कौशल तथा रूझान होगा। इस योजना को आरंभ करने से लेकर दसवीं योजना के अंत तक व्यावसायिक विषयों को आरंभ करने के लिए 43 विश्वविद्यालयों तथा 3383 कालेजों को इस अवधि के दौरान (1994–2007) 286.77 करोड़ रूपए का कुल अनुदान प्रदान किया गया है।

वि0अ0आ0 ने दसवीं योजना के दौरान 'वृत्ति उन्मुखी कार्यक्रम' की आशोधित योजना के तहत स्नातक पूर्व स्तर या व्यावसायिक कार्यक्रम को पुनः तैयार करने का निर्णय लिया। वि0अ0आ0 ने प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिलोमा कार्यक्रम की लचीली प्रणाली आरंभ की है, जो पारम्परिक बी0ए0 बी0काम0 तथा बी0एस0सी0 डिग्री के समानांतर चलती है। विश्वविद्यालय/कालेज स्वयं अपना 'आवश्यकता आधारित' वृत्ति उन्मुखी योजना तैयार कर सकते हैं।

वि0अ0आ0 के दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय/कालेज, विशिष्ट विषय की अकादमिक आवश्यकताओं तथा बाजार की आवश्यक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय में विशेषज्ञों की मदद से पाठ्यक्रम की योजना तैयार कर सकते हैं। तथापि, यह नोटिस दिया गया है कि विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में देरी के कारण लागू करने में लम्बा समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप आवंटित सहायता के उपयोग में विलम्ब होता है, जिसे संस्वीकृति के साथ–साथ संस्थान को उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही छात्र योजना के लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। वैसे यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों के औपचारिक अंतिम अनुमोदन के अध्यधीन, एक समिति की सिफारिश पर जिसमें संबंधित संकाय के डीन तथा उपकुलपति द्वारा नामित दो अन्य विशेषज्ञ होते हैं जिसकी सिफारिश पर वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान आवंटन के दो माह के भीतर उपकुलपति पाठ्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति दे सकता है। यदि विश्वविद्यालय विहित सीमा के भीतर पाठ्यक्रम को अनुमोदित करने में असफल रहता है, तो अनुमोदित माना जाएगा।

2. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य वृत्तिका तथा बाजार उन्मुखी, कौशल में उन्नयन करने वाला 'एड–आन' पाठ्यक्रम आरंभ करना है जिसका नौकरी, स्वरोजगार तथा छात्रों के सशक्तिकरण में उपयोगिता हो।

तीन वर्षों के अंत में, छात्र को विज्ञान/कला/वाणिज्य में पारम्परिक डिग्री के साथ–साथ एक 'एड–आन' अभिविन्यास पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा प्राप्त होगा। संस्थान को विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृत्तिका उन्मुखी विषयों में पाठ्यक्रमों की पेशकश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए विज्ञान विषय में कुछ पाठ्यक्रमों में सूचना और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, वातानुकूलन, जैव–प्रौद्योगिकी, अस्पताल अपशिष्ट निपटान प्रबंधन तथा रेशम कीट पालन आदि हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान तथा कला–विषयों में पाठ्यक्रम अंतर्विषय प्रकृति के हो सकते हैं जैसे अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, पर्यटन, फैशन डिजाईनिंग, अनुवाद में सिद्धहस्तता, टेलीविजन तथा वीडियो प्रोडक्शन। वाणिज्य विषयों में पाठ्यक्रम, बीमा, बैकिंग, ई–वाणिज्य विश्व व्यापार, विदेश विनिमय व्यापार, खुदरा व्यापार (रीटेलिंग) आदि हो सकते हैं। जिन पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है वे अंतर्विषय प्रकृति के होने चाहिए। इसमें कोई विषयाबद्धता नहीं होनी चाहिए तथा छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वे उनके मुख्य विषय से सम्बद्ध हों। उदाहरण के लिए, विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री की पढ़ाई करने वाले एक छात्र, साथ ही साथ 'ईवेट मैनेजमेंट' में पाठ्यक्रम कर सकता है। इसी प्रकार, कला पृष्ठभूमि के छात्र को विज्ञान पत्रकारिता में पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प होना चाहिए।

3. लक्ष्य/पात्रता

वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी कालेज व विश्वविद्यालय, वृत्तिका उन्मुखी पाठ्यक्रम की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पात्र हैं।

3. योजना के तहत उपलब्ध सहायता की प्रकृति

इस कार्यक्रम में उपलब्ध सहायता **'सीड मनी'** के रूप में केवल एकमुश्त अनुदान के रूप में ही उपलब्ध है। राशि का उपयोग पुस्तकें तथा जर्नल खरीदने, प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन, उपस्कर, आकस्मिता तथा केवल आगन्तुक/आंतरिक संकाय को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है।

1. वि0अ0आ0 द्वारा कला विषय में पांच वर्षों तक 'सीड मनी' के रूप में एकमुश्तः 7 लाख रूपए तथा विज्ञान विषयों में पांच वर्षों तक 'एकमुश्त' सीड मनी के रूप में 10 लाख प्रति पाठ्यक्रम का अनुदान दिया जाएगा। कालेज/विश्वविद्यालय बहु प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा का विकल्प अपना सकते हैं। कालेज/विश्वविद्यालय अधिकतम तीन पाठ्यक्रम का विकल्प अपना सकते हैं।

2. चूँकि वास्तविक आगतें कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैंः मौजूदा अवसंरचना का गुणात्मक तथा विवरणात्मक ब्यौरा, ग्रंथालय संसाधन, प्रयोगशाला तथा कार्यशाला का स्पष्ट रूप से विवरण दिया जाना चाहिए। वृत्तिका उन्मुखी पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए संस्थान के पास पर्याप्त उपस्कर तथा प्रयोगशाला संसाधन होने चाहिए। आवेदन करने वाले संस्थान को वि0अ0आ0 को अपने प्रस्ताव भेजने से पहले प्रत्येक पाठ्यक्रम की लाभप्रदतता तथा जीवनक्षमता का पता लगाना चाहिए। लाभप्रदतता का पता लगाते हुए अकादमिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के व्यय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

3. प्राचार्य एवं अन्य कर्मचारी/सदस्य जो वृत्तिका उन्मुखी पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हैं और जिन्हें अपने कार्यभार के अलावा, अनेक कार्य करने पड़ते हैं जैसे आगन्तुक संकाय का प्रबंध करना, छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए नियोजन करने वाली स्थापना के साथ संपर्क करना, वृत्तिका उन्मुखी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए क्षेत्र कार्य तथा परियोजना कार्य के पर्यवेक्षण आदि के लिए संस्थानों द्वारा सृजित संसाधनों द्वारा उपयुक्त मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के समन्वयक को 'सीड मनी' से 5000 रूपए की दर से प्रतिवर्ष पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है।

5. योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

5.1 कालेज/विश्वविद्यालय (जिसके पास स्नातक पूर्व शिक्षण विभाग हैं) वह अपने प्रस्ताव में वृत्तिका उन्मुखी पाठ्यक्रम के नाम का उल्लेख कर सकता है जिसे आरंभ करने का उसका प्रस्ताव है। तथापि, कालेज को सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालय को उन विषयों के बारे में सूचित करना होगा जिनके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों को संबंधित पाठ्यक्रम को तैयार करने की योजना बनानी चाहिए ताकि इसे कालेज को समय से कार्यक्रम आरंभ करने हेतु उपलब्ध कराया जा सके। तद्नुसार, कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान को सीधे ही अपने प्रस्ताव **(अनुलग्नक-I) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली–110001** को भेजने चाहिए। प्रस्ताव की एक प्रति विश्वविद्यालय के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.2 यह नोट किया जा सकता है कि पाठ्यक्रम का विषय जिसे एक संस्थान द्वारा आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है उसे मौजूदा शिक्षा के पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के दौरान बी0ए0, बी0काम तथा बी0एस0सी0 के पारम्परिक डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ–साथ 'एड–आन' कौशल उन्मुखी विषयों के रूप में मौजूदा तीन वर्ष के डिग्री कार्यक्रम में

क्रमशः प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ–साथ आरंभ किया जाएगा।

5.3 विश्वविद्यालय/कालेजों द्वारा योजना के तहत विस्तृत पाठ्यक्रम जिसमें सिद्धांत/व्यवहारिक ज्ञान/क्षेत्र कार्य/भाषण तथा विषयों के विकल्पों की पूर्व–अपेक्षाएं तथा दिए जाने वाले समय (पीरीयड) की अवधि को दर्शाया गया हो, तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को एक प्रभावी तरीके से तैयार किया जाना चाहिए तथा विभिन्न घटकों में मान को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

5.4 **विषयों का संयोजनः** बिना किसी सीमा के विषयों के विकल्पों में लचीलापन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। कालेज तथा विश्वविद्यालय अपनी पसंद के आवश्यकता आधारित उन्मुखी पाठ्यक्रम/अंतर्विषय पाठ्यक्रम की पहचान करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे उद्योग/सेवा संगठनों तथा गैर–सरकारी तथा व्यक्तियों द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा, विषयवस्तु तथा कार्यान्वयन पद्धति के विषय में संगठनों से मदद प्राप्त कर सकते हैं।

5.5 **व्यवहारिक प्रशिक्षणः** वृत्तिका उन्मुखी पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए, वृत्तिका उन्मुखी विषयों तथा अन्य अकादमिक विषयों तथा अन्य अकादमिक विषयों के बीच, व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से, इसकी गुणवत्ता, प्रमात्रा तथा संगठनात्मक औपचारिकताओं के बीच भेद किया जाएगा। व्यावहारिक कार्य की विषयवस्तु/प्रकृति कौशल उन्मुखी होनी चाहिए तथा उसका उद्देश्य विपणन योग्य कौशल का विकास होना चाहिए। औद्योगिक सहयोग तथा सम्बद्ध संगठन तथा संस्थानों तथा भावी रोजगार उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के साथ 'लिन्केज' पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

5.6 **क्षेत्र संस्थान/प्रशिक्षणः** यह वृत्तिका/'साफ्ट स्किल्ड ओरियेन्टिड प्रोग्राम' का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सहयोग करने वाले संगठन/गैरसरकारी

संगठन/संस्थान छात्रों को अनुमति देगा और उन्हें अपनी पेशेवर/सेवा गतिविधियों में भागीदारी करने की स्वीकृति देगा।

5.7 वृत्तिका उन्मुखी कार्यक्रम के एक पाठ्यक्रम में एक शिक्षण गुणवत्ता और मानक बनाए रखने के लिए औसत कक्षा का आकार 30 से 40 से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.8 संकाय–शिक्षण, प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम के प्रशासन में निम्नलिखित स्टाफ के सदस्यों को शामिल किया जा सकता हैः–

- कालेक का प्राचार्य/विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम का समन्वयक जो अकादमिक तथा प्रशासनिक पहलुओं के लिए उत्तरदायी होगा।
- विशिष्ट विषयों के शिक्षण संकाय।
- अन्य संस्थानों से, सेवाओं तथा व्यक्तिगत संगठनों/क्षेत्र में विशेषज्ञों से बुलाए गए आगन्तुक लेकचरार।
- छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला/कार्यशाला/संस्थान।

5.9 **समन्वयकः** शिक्षण और प्रशिक्षण आयोजित करने का उत्तरदायित्व पाठ्यक्रम/विषय/विशिष्ट विषय के समन्वयक का होगा।

1. **<u>शिक्षण संकाय</u>**

शिक्षण संकाय को निम्नलिखित चार मुख्य क्षेत्रों में सक्षम होना चाहिएः–

- नई विषयवस्तु को पढ़ाने में जोकि अनुप्रयोग प्रकृत्ति का है।
- संस्थानों में छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, जोकि नियोजन करने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मियों की सहायता से किया जाना होगा। तथापि, इसके लिए शिक्षण संकाय का सहयोग चाहिए होगा।
- उद्यमशीलता विकास

2. अतिथि शिक्षक

प्रस्तावित विषयों की विषयवस्तु यदि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में उपलब्ध विषयवस्तु से भिन्न है तो नए विषय के अधिकांश भाग को अतिथि विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाना होगा। उन्हें प्रशिक्षण एवं पेशेवर संस्थानों तथा उत्पादन से संबंधित प्रतिष्ठानों से बुलाया जा सकता है। विषय में महारत हासिल व्यक्ति अतिथि शिक्षक के रूप में भी सेवा दे सकते हैं। अतिथि शिक्षक/संस्थान का आंतरिक शिक्षक को एक घंटे की अवधि के लेक्चर के लिए 250 रूपए प्रति लेक्चर की दर से पारिश्रमिक दिया जा सकता है। कालेज/विश्वविद्यालय को एक मान्यता प्राप्त शिक्षक की परिभाषा को अधिक लचीला बनाना होगा ताकि क्षेत्र/उद्योग से विशेषज्ञों को अतिथि शिक्षक के रूप में बुलाया जा सके। आावश्यक होने पर, अतिथि/शिक्षक के लिए पूर्व अपेक्षित अर्हता क्षेत्र/उद्योग से आने वाले शिक्ष्क से भिन्न हो सकती है तथा तद्नुसार संबंधित विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर अतिथि शिक्षक के लिए अपेक्षित अर्हता को कम कर सकता है।

5.10 वृत्तिका उन्मुखी पाठ्यक्रमों का नजरिया प्रगतिशील होना चाहिए। निम्नलिखित उपलब्ध कार्यक्रम होंगेः

1. **प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः** पाठ्यक्रम में 20 क्रेडिट होंगे। प्रत्येक क्रेडिट में 15 घंटें का वर्कलोड होगा जिसमें से आवश्यक रूप से 8 क्रेडिट क्षेत्र कार्य/परियोजना कार्य/प्रशिक्षण के लिए दिए जाने चाहिए। इसका प्रमाण, परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/शोध प्रबंध/रिपोर्ट आदि, जिसे संबंधित संस्थागत प्राधिकारी/समन्वयक/संकाय द्वारा यथोचित रूप से जारी किया गया हो तथा हस्ताक्षरित किया गया हो।

2. **डिप्लोमा पाठ्यक्रमः** पाठ्यक्रम में 40 क्रेडिट होंगे (प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम मे 20 क्रेडिट अर्जित किए जायेंगे) प्रत्येक क्रेडिट में 15 घंटे का वर्कलोड होगा जिसमें से 8 क्रेडिट को आवश्यक रूप से क्षेत्र कार्य/परियोजना कार्य/प्रशिक्षण के लिए निर्धारित होंगे। इसका सबूत परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. **उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमः** पाठ्यक्रम में 60 क्रेडिट होंगे (प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दौरान क्रमशः 40 क्रेडिट अर्जित किए जायेंगे) प्रत्येक क्रेडिट में 15 घंटें का वर्कलोड होगा। इसमें से अनिवार्य रूप से 8 क्रेडिट क्षेत्र कार्य/परियोजना कार्य/प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए। इसका (क्षेत्र कार्य/परियोजना/प्रशिक्षण) सबूत परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.11 वृत्ति उन्मुखी कार्यक्रमों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा, परीक्षा परिणामों तथा अर्जित क्रेडिटों के आधार पर दिए जायेंगे। छात्रों को अन्य अतर्विषयों के वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों से क्रेडिट पूर्ण कर अथवा उसी विषय/पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अनुमति दी जायेगी।

5.11.1 **प्रमाणपत्र जारी किया जानाः** कोई भी कालेज जो विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र प्रदान करने का इच्छुक हो, उसे पर्याप्त रूप से पहले ही विश्वविद्यालय को आवेदन करना चाहिए तथा अकादमिक निकायों का अनुमोदन अपेक्षित होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कालेज प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने पर कालेज विश्वविद्यालय और कालेज के नाम पर संयुक्त प्रमाणपत्र जारी करेगा।

6. **अ0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया**

1. विहित आवेदन प्रपत्र में प्राप्त सभी अनुमोदनों को वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा 'इंटरफेस बैठक' में संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी तथा आवंटित किए जाने वाले विषय/पाठ्यक्रम के बारे में सिफारिश करेगी।

2. इस प्रकार चयन किए गए संस्थान को उनके प्रस्ताव के अनुमोदन के बारे में वि0अ0आ0 द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर, सूचित किया जाएगा।

3. सहायता के लिए चुने गए संस्थानों को एक विवरणिका तैयार करनी चाहिए जिसमें छात्रों को विषय की प्रकृति तथा उसके भविष्य तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा, न्यूनतम शर्तें जिसे छात्र द्वारा पूरा किया जाना है, समय सारणी, परियोजना तथा स्थल कार्य/प्रयोगशाला/प्रशिक्षण प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण अनुभव की रूपरेखा भी होनी चाहिए।

7. वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया

इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'सीड मनी' के रूप में प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के लिए 'एकमुश्त' सहायता उपलब्ध करायेगा।

8. योजना की प्रगति की निगरानी करने की प्रक्रिया

योजना में नियमित निगरानी करने का उपबंध है, संस्थानों को विहित प्ररूप में वि0अ0आ0 को सूचना भेजना अपेक्षित है। इसके साथ–साथ वि0अ0आ0, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए अलग–अलग या समूहों में संस्थानों का दौरा करने के लिए वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों संबंधी स्थायी समिति के एक या दो सदस्यों के साथ एक विशेषज्ञ समिति गठित कर सकती है। इस बावत अपेक्षित सूचना को अकादमिक सत्र के अंत पर संस्थान द्वारा नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

1. कालेज/विश्वविद्यालय एक 'वृत्ति उन्मुखी परिषद्' का विकास करेगा जो स्थानीय रोजगार अवसरों की सूची का रखरखाव करेगा तथा वृत्ति पाठ्यक्रमों के लिए आंकड़ों संबंधी सहायता उपलब्ध करायेगा। परिषद् कालेज के वृत्ति पाठ्यक्रमों की निगरानी भी करेगा तथा नियमित अवधि पर वि0अ0आ0 को आवश्यक प्राप्ति रिपोर्ट भी उपलब्ध करायेगा।

2. कालेज को उन छात्रों के रिकार्ड का रखरखाव करना चाहिए जिन्होंने वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम' के साथ–साथ तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया है ताकि इन स्नातकों की गतिविधि/प्रस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हो सके।

9. **सामान्य:**

1. वि0अ0आ0 की पूर्व अनुमति से प्रदत्त वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
2. इस योजना को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले केवल स्नातकपूर्व स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
3. यदि कालेज/विश्वविद्यालय को वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदित वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र नहीं मिलते हैं तो अन्य कालेजों/विश्वविद्यालयों (वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत मान्यता प्राप्त) के छात्रों को दाखिला दिया जा सकता है।
4. विश्वविद्यालयों को वि0अ0आ0 द्वारा स्वीकृति वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम के लिए कोई संबंधन (अफिलिएशन) शुल्क प्रभारित नहीं करना चाहिए।
5. वि0अ0आ0 की नीति के अनुपालन में, चूँकि एक छात्र 900 घंटें की शिक्षा पूरी कर रहा है, तो विश्वविद्यालय को उन छात्रों को 'आनर्स डिग्री' देने पर विचार करना चाहिए जिन्होंने डिग्री पाठ्यक्रम के साथ–साथ किसी विषय के पाठ्यक्रम में तीन प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा उच्च डिप्लोमा अर्जित किया है।

6. चूँकि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की भारी मांग है, छात्रों द्वारा अध्ययन वर्ष पर ध्यान दिए बगैर, यह निर्णय लिया गया कि छात्रों को अध्ययन की अवधि के दौरान या तो प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विकल्प अपनाना होता है या तीन वर्षीय पाठ्यक्रम का विकल्प अपनाना होता है।

10. योजना के तहत आवेदन हेतु प्रोफार्मा, उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करना।

1. विश्वविद्यालयों/कालेजों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने हेतु आवेदन प्रपत्र (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा) । **(अनुलग्नक–I)**
2. संस्थान द्वारा वि0अ0आ0 को उपलब्ध कराए जाने वाली सूचना।**(अनुलग्नक–II)**
3. प्रथम स्नातक स्तर पर वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने हेतु निबंधन व शर्तें। **(अनुलग्नक–III)**
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र। **(अनुलग्नक–IV)**
5. वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने के लिए व्यय विवरण प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा। **(अनुलग्नक–V)**

अनुलग्नक–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

35, फिरोजशाह रोड,

नई दिल्ली–110 001

वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए आवेदन प्रपत्र

(विश्वविद्यालय/कालेजों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा)

केवल कार्यालयी उपयोग हेतु

विश्वविद्यालय अपने प्रस्ताव अपने कुल–सचिव के माध्यम से भेजेगा, जबकि कालेजों के प्रस्ताव, फाइल नं0.....को संबंधित सम्बद्ध विश्वविद्यालय के सीडीसी/कुल सचिव द्वारा भेजा जाना चाहिए। स्वायत्त क्षेत्र कालेज सीधे ही वि0अ0आ0 को अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं।

प्राप्ति की तिथि

मुख्य विषय कला वाणिज्य विज्ञान

1. संस्थान का ब्यौरा :

1.1. विश्वविद्यालय/कालेज का नाम, पता सहित

(वि0अ0आ0 अधिनियम 1956 की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) द्वारा वि0अ0आ0 द्वारा यथा अधिसूचित नाम)

.....

जिला.....

राज्य.....पिन कोड.....

1.2. विश्वविद्यालय/कालेज की स्थापना वर्षः

1.3. कालेज के मामले में, सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम व पताः

.....

1.4 जिला.....राज्य.....

.....पिन कोड.....

1.5 प्राचार्य का नाम/(कालेज के मामले में) अथवा विभाग के अध्यक्ष का नाम (विश्वविद्यालय विभाग के मामले में)

.....

.....दूरभाष/फैक्स नं0.....

2. क्या विश्वविद्यालय/कालेज, वि0अ0आ0 अधिनियम 1956 की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत वि0अ0आ0 सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है? हां/नहीं

यदि हां, तो कृपया इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।

3. संस्थान की प्रकृति (कृपया लागू स्थान पर (√) निशान लगाएँ)

निजी (कोई अनुदान नहीं) केन्द्र सरकार				निजी (अनुदान सहायता)	
		राज्य सरकार		संघ सरकार	
अंगीभूत कालेज		स्वायत्त विश्वविद्यालय		सम्बद्धकालेज समविश्वविद्यालय	
विज्ञान कालेज		कला कालेज		वाणिज्य कालेज	
कालेज की अवस्थिति (राज्य सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत)		शहरी ग्रामीण पिछड़ा		अर्ध–शहरी जनजातीय	
पुरूषों का संस्थान		महिलाओं का संस्थान		स्ह–शिक्षा	

4. पिछले अकादमिक वर्ष के दौरान डिग्री पाठ्यक्रमा* में कुल नामांकन

बी0ए0	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	बीएससी	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	बी0काम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	**महा योग**	
	कुल		**कुल**		**कुल**		

* कालेज द्वारा कोई अन्य डिग्री पाठ्यक्रम जिसकी पेशकश की जा रही हो। यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें।

———————————————————————————————

5. संकाय की संख्याः

शिक्षक	संस्वीकृत संख्या (विभाग–वार)				वर्तमान स्थिति (विभाग–वार)			
	स्नातक पूर्व	स्नातकोत्तर	अन्य	कुल	स्नातक पूर्व	स्नातकोत्तर	अन्य	कुल
पूर्णकालिक								
अंशकालिक								
अतिथि शिक्षक								

6. अवसंरचना के संबंध में प्रोफाईल का ब्यौरा दें:

1. कक्षाएं / प्रयोगशालाएं / कार्यशालाएं
2. पुस्तकों / जर्नल / पत्रिकाओं की संख्या
3. उपस्कर (प्रयोगशाला / श्रव्य–दृश्य सहायक उपकरण / शिक्षण उपकरण)
4. अन्य (ब्यौरा दें)

7. आरंभ किए जाने वाले वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम (वि0अ0आ0 द्वारा विचार किए जाने हेतु पात्र होने के लिए प्रत्येक संकाय में कम से कम पांच विषय दर्शाए जाने चाहिए।)

विषय क्षेत्र	विषय	समन्वयनकर्ता विभाग
कला / सामाजिक विज्ञान	1 2 3 4 5	
विज्ञान	1 2	

	3 4 5	
वाणिज्य	1 2 3 4 5	

8. वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए मुख्य (स्थायी) शिक्षकः

वृत्ति उन्मुखी विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रम	नाम और पदनाम	अर्हता	विषय

9. वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए आपके प्रस्ताव के लिए मौजूदा सुविधाओं को स्पष्ट रूप से इंगित करें (अर्थात् कालेज/विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम के लाभ–हानि का पता लगाना)

10. वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों के पिछले बैच की अवस्थिति (केवल उन संस्थानों के मामले में लागू है जो पहले ही वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम चला रहे हैं अथवा जिनका अधिक विषयों में पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है)

वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम का	वर्ष वार उत्तीर्ण छात्रों की कुल		कुल उत्तीर्ण छात्रों में से

नाम	संख्या						
	वर्ष	छात्र	स्नातकोत्तर अध्ययन में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या				
				मजदूरी नियोजन	स्वरोजगार	खानदानी व्यापार	बेरोजगार

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचना ठीक है और प्रथम डिग्री शिक्षा के वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम अर्थात् दिशानिर्देश, मानदण्ड, पात्रता शर्तें, आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावित विषयों, तथा इस विषय पर वि0अ0आ0 द्वारा परिचालित अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन आदि की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के ब्यौरे को पढ़ चुका हूँ तथा वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन होने पर विहित ढ़ाचें के तहत योजना को कार्यान्वयन के लिए इसका पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर और मुहर

रजिस्ट्रार/संकायाध्यक्ष
विश्वविद्यालय की कालेज
विकास परिषद्

हस्ताक्षर और मुहर

कालेज के प्राचार्य
विश्वविद्यालय के संबंधित
विभागाध्यक्ष

अनुलग्नक–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

35, फिरोजशाह रोड,

नई दिल्ली–110001

संस्थान द्वारा वि0अ0आ0 को उपलब्ध कराए जाने वाली सूचना

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विभाग का नाम जो कार्यकलाप का समन्वय करेगा।
2. संकाय सदस्यों का नाम जो पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा और जिसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
3. संस्थान को संस्वीकृत 'सीड मनी' (बीज राशि) द्वारा क्रय किए गए उपस्कर/पुस्तकों की सूची।
4. संस्वीकृत राशि का मद वार ब्यौरा जैसे उपस्कर सूची, पुस्तक सूची, अतिथि शिक्षक आदि।
5. पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालय का अनुमोदन
6. छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण/नौकरी के दौरान प्रशिक्षण के लिए संस्थान/नियोजन एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति।
7. वृत्ति उन्मुखी विषय आरंभ करने के लिए वि0अ0आ0 का अनुमोदन प्राप्त होते ही, कृपया अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पाठ्यचर्या प्राप्त करें।
8. वृत्ति उन्मुखी, विषयों की वर्तमान स्थिति जिसे वि0अ0आ0 ने पूर्व के वर्षों के दौरान संदर्भाधीन योजना के तहत आवंटित किया था। छात्रों के अनुवर्ती अध्ययन, यदि कोई किया गया हो, तो संबंधी रिपोर्ट जिन्होंने वृत्ति उन्मुखी विषयों पर स्नातक डिग्री हासिल की है, भेजा जाए।

अनुलग्नक–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
35, फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली–110001

प्रथम डिग्री स्तर पर वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की निबंधन और शर्तें

विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रथम डिग्री स्तर पर वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए वि0अ0आ0 सहायता, निम्नलिखित निबंधन व शर्तों के अध्यधीन होगीः

1. वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम परम्परागत बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0 पाठ्यक्रम के साथ एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम होगा जिसके लिए वि0अ0आ0 सहायता देने को सहमत हो गया है तथा संबंधित विश्वविद्यालय/स्वायत्त कालेज के संबंधित अकादमिक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. संस्थान, छात्रों को शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकल्पों के बारे में सहायता देने और उन्हें संसूचित करने के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्शदात्री सेवाएं भी देगा।
3. अनुमोदित वृत्ति उन्मुखी विषयों को मौजूदा बी0ए0/बी0काम/बी0एस0सी0 डिग्री के समांतर एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में आरंभ किया जाएगा।
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों के छात्रों को स्थानीय संस्थानों तथा रोजगार स्थापनाओं के साथ जोड़ा जाएगा, जिनके पास नए पाठ्यक्रम से संबंधित सुविधाओं के लिए प्रयोगशाला/कार्यशाला सुविधाएं हैं तथा जहां योग्य कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण उपलब्ध होगा।

5. व्यावहारिक कार्य में छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों/नियोजन प्रदान करने वाले स्थापनाओं, जहां प्रशिक्षण दिया जाएगा, की सहायता से नौकरी के साथ प्रशिक्षण/व्यावहारिक निष्पादन/मूल्यांकन किया जाएगा।

6. संस्थान अपनी मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा मौजूदा संकाय के सदस्यों का इष्टतम उपयोग करेगा।

7. संस्थान को फीस ढ़ांचें को निर्धारण करने के लिए पाठ्यक्रम की आर्थिक जीवन क्षमता का पता लगाना होगा।

8. कालेज वि0अ0आ0 कार्यालय को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. वि0अ0आ0 उन कालेजों का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा जिनके लिए वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम संस्वीकृत किया गया है [प्रत्येक समिति में तीन सदस्य होंगे तथा एक वि0अ0आ0 का अधिकारी होगा (जोकि संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो)]

अनुलग्नक–IV

उपयोग प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि वि0अ0आ0 द्वारा.......................................के लिए अनुमोदित...........................रूपये (रूपये.......................................) के अनुदान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसके दिनांक...................के पत्रांक सं..............में दिए गए ब्यौरे के अनुसार उपयोग किया गया है और कालेज द्वारा इन सभी निबंधन और शर्तों को पूरा किया गया है तथा इसे उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए अनुमोदित किया गया था।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्णतः और मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान से सृजित/अर्जित स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसम्पत्तियों की संपत्ति सूची, जिसे ऊपर दिया गया है, का विहित प्ररूप में रखरखाव किया जा रहा है और अद्यतन किया जाता है और इन परिसम्पत्तियों को बेचा नहीं गया है अथवा गिरवी नहीं रखा गया है अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप यदि बाद में कोई अनियमितताएं पाई गईं तो कालेज आपत्तिजनक राशि को लौटाने के लिए बाध्य होगा।

हस्ताक्षर–––

(सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक)

(गैर–सरकारी कालेज) (सरकारी कालेज/विश्वविद्यालय)

हस्ताक्षर–––

(कुल– सचिव /प्राचार्य) **मुहर**

अनुलग्नक-V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(वृत्ति उन्मुखी कार्यक्रम)

वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने पर हुए व्यय के विवरण को प्रस्तुत करने का प्ररूप

1. कालेज का नामः
2. वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम का नामः
3. वि0अ0आ0 अनुमोदन की संख्या और दिनांक
   सं. एफ.....दिनांक.....
4. अवधि जिससे लेखा संबंधित हैः.....से.....तक
5. हुए वास्तविक व्यय का ब्यौराः

	अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान व्यय	व्यय नहीं किया गया शेष	'सीड मनी' (बीज राशि)
	(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**
पुस्तकें और जर्नल				
उपस्कर				
अतिथि शिक्षक				

नोटः

I प्रत्येक वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम के लिए व्यय विवरण अलग–अलग भरा जाना चाहिए।

II क्रय किए गए उपस्करों की सूची को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

III लिए गए पीरीयड का ब्यौरा, आगन्तुक संकाय एवं आंतरिक संकाय के तहत प्रत्येक शिक्षक को प्रदत्त राशि और उसका नाम भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर

समन्वयक प्राचार्य/कुल सचिव सरकारी लेखापरीक्षक/सनदी लेखापरीक्षक